

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सिरसा।

हिसार बाईपास रोड़, सिरसा टेलिफोन न० 01666-243307

Email:- forest_sirsa@yahoo.com&dfo.sir-hry@ nic.in

क्रमांक: 5041
सेवा में

दिनांक: 16-11-2023

Executive Engineer,
Provincial Division No. 2,
PWD (B&R) Sirsa.

विषय: Diversion of 0.8395 ha. of forest land for Construction of 4-Lane road from Airport to main bye-pass km. 260.35 to 261.50 (CM Announcement code No. 24520 dt. 20.11.2018), under Forest Division & Distt. Sirsa. Online Proposal No- FP/HR/Road/155473 / 2022

संदर्भ: भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की फाईल संख्या 9-HRV081/2023-CHA दिनांक 31.10.2023।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयांकित केस में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अतः सी०ए० स्कीम अनुसार आप द्वारा जमा करवाई जाने वाली राशि का डिमांड नोट निम्नप्रकार से जारी करते हुए आपको लिखा जाता है कि आप यह राशि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की website www.parivesh.nic.in के माध्यम से अपने केस में चालान जनरेट करके उसमें अंकित लेखा में जमा करवाएं।

Sr. No.	Particular	Amount
1	Net Present Value (NPV)	804056.00
2	Compensatory Afforestation with Barbed Wire Fencing	2608729.00
3	Additional Compensatory Afforestation	0.00
4	Supervisory/Overhead/Misc. Charges (10% on the Total CA Charges) 1 st year Cost to 10 th Year Maintenance)	126553.00
5	Catchment Area treatment (Soil & Moisture Conservation Charges) CA+ACA (30% on the Total CA Charges) 1 st year Cost to 10 th Year Maintenance)	379659.00
7	Penalty for violation	0.00
8	Additional Charges for Protected Area	0.00
9	Felling Charges	58548.00
10	Demarcation Charges	0.00
	G.Total	3977545.00

उक्त राशि ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा करवाकर चालान की प्रति इस कार्यालय में भेजे, ताकि पालना रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जा सके। इसके अतिरिक्त जिलाधीश सिरसा से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की अनुपालना में प्रमाण पत्र प्राप्त करके व नियमों की अण्डरटेकिंग की प्रति शीघ्रातिशीघ्र मण्डल कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।

वन मण्डल अधिकारी,
सिरसा।

पृ० क्रमांक 5042 दिनांक 16-11-2023

इसकी एक प्रति वन राजिक अधिकारी, कालावाली को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त साईट का आप स्वयं मौका निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी प्रकार की उल्लंघना होने की स्थिति में एफ०सी०ए० 1980 के तहत कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित करें।

वन मण्डल अधिकारी,
सिरसा।